छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–धमतरी

Website : www.cghb.gov.in
Email ID : eedhmtcghb@gmail.com

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) प्रस्ताव आमंत्रण

कमांक / कार्य.अभि. / तक.शा. / ई.ओ.आई. / 2020 धमतरी, दिनांक ..../ /2020

सामान्य आवास योजना, हटकेशर धमतरी में निर्माणाधीन 155 / 148 ई.डब्लु.एस स्वतंत्र भवनों हेतु निर्मित सेप्टिक टैंक में STP/H.R.F.D. (क्षमता 200 KLD) लगाने का कार्य (अनु. लागत 23.70 लाख रूपये) किया जाना है । इसके अंतर्गत STP/H.R.F.D. हेतु टेक्निकल ऑफर, ड्राईग डिजाईन, स्पेसिफिकेशन, स्थापना, संचालन एवं संधारण आदि कार्य सम्मिलित करते हुए एकीकृत प्रणाली में पंजीकृत एवं अनुभवी संस्था / एजेंसियों से रूचि के अभिव्यक्ति (EOI) प्रस्ताव आंमत्रित की जाती है।

अनुभवी एजेंसी आवेदन पत्र के साथ संस्था का उपयुक्त श्रेणी में एकीकृत पंजीयन प्रणाली अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रति, पेन कार्ड की प्रति एवं रूपये 5000/– बैंक ड्राफ्ट (जो कार्यपालन अभियंता छ.ग. गृह निर्माण मण्डल संभाग–धमतरी के नाम से देय होगा) के माध्यम से छ.ग. गृह निर्माण मण्डल संभाग–धमतरी में जमा कर कार्यालयीन समय में दिनांक..............................को 5:30 बजे तक जमा कर नियम शर्तो एवं दर ऑफर की प्रति प्राप्त कर सकते है। (EOI) प्रस्ताव / दर ऑफर निर्धारित अंतिम तिथि 18/03/2020 को 03:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालयीन समयावधि तक प्राप्त की जावेगी। लिफाफा 'अ' में धरोहर राशि के रूप में रूपये 47400/–. राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट (जो कार्यपालन अभियंता छ.ग. गृह निर्माण मण्डल संभाग–धमतरी के नाम से देय होगा) जमा करना होगा एवं लिफाफा 'ब' में तकनीकी ऑफर के रूप में अनुभवी एजेंसी / संस्था द्वारा H.R.F.D. कार्य हेतु प्रस्तावित टेक्निकल ऑफर, ड्राईंग डिजाईन, स्पेसिफिकेशन, स्थापना, संचालन एवं संधारण आदि सहित कार्य योजना के साथ अनुभव प्रमाण पत्र, तीन वर्ष का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र, वाणिज्य कर चूकता प्रमाण पत्र जमा करनी होगी । लिफाफा 'स' में वित्तीय ऑफर जमा करना हेागा।

प्राप्त ई.ओ.आई. प्रस्ताव दिनांक / /2020 को 03.00 बजे के बाद लिफाफा 'अ' एवं 'ब' (धरोहर राशि एवं तकनीकी बीड) खोली जावेगी । तत्पश्चात् निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले प्रस्तावकर्ता / दरदाता का लिफाफा 'स' (वित्तीय ऑफर) खोले जाने हेतु पृथक से सूचना दी जावेगी । नियम एवं शर्तो का अवलोकन कार्यालयीन समय में किया जा सकता है । ई.ओ.आई. प्रस्ताव / दर को स्वीकार /अस्वीकार करने का अधिकार उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल वृत्त–दुर्ग , के पास सुरक्षित रहेगा। उपरोक्त कार्य तथा ई.ओ.आई. से संबंधित विस्तृत जानकारी, नियम ; शर्ते एवं प्रस्तावित स्थल की जानकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग धमतरी के तकनीकी शाखा से प्राप्त की जा सकती है तथा ,छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की वेबसाईट www.cghb.gov.in में देखी एवं डाउनलोड भी की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
छत्तीसगढ़ गृह निमार्ण मण्डल
संभाग–धमतरी

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–धमतरी

नियम एवं शर्तें

1. कार्य विवरण – निविदाकार को सामान्य आवास योजना, हटकेशर धमतरी में निर्माणाधीन 155/148 EWS में निर्मित सेप्टिक टैंक में STP/H.R.F.D. (क्षमता 200 KLD) लगाने के कार्य हेतु टेक्निकल ऑफर, ड्राईंग डिजाईन, स्पेसिफिकेशन, स्थापना, संचालन एवं संधारण हेतु रूचि के अभिव्यक्ति (EOI) प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त EOI सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाने पश्चात् ड्राईंग, डिजाईन एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार कार्यस्थल पर निर्धारित अवधि में उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करना होगा ।
2. निविदाकार को इसी प्रकृति (STP/H.R.F.D.) के कार्य का अनुभव होना चाहिए। निविदाकार को STP/H.R.F.D. कम से कम एक कार्य जिसकी लागत रूपये 23.70 लाख (तेईस लाख सत्तर हजार) से कम ना हो, के कार्यपूर्णता के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
3. परफार्मेंस गारन्टी के रूप में स्वीकृत राशि की 05% राशि रोकी जावेगी। जिसकी अवधि कार्य पूर्णता तिथि से 18 माह होगी।
4. कार्यादेश प्राप्ति के पश्चात् 03 माह की अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा ।
5. निविदाकार को स्थल का परीक्षण कर निर्मित सैप्टिक टैंक (आन्तरिक सिविल कार्य सहित), भूमि की उपलब्धता एवं नजदीकी ड्रेन/नाला के अनुसार डिजाईन एवं विस्तृत ड्राईंग तथा स्पेसिफिकेशन प्रस्तुत करना होगा तथा STP/H.R.F.D. से ट्रीटमेन्ट पश्चात निकलने वाले साफ पानी को आवश्यक पाईप (Required Dia. of Pipe) लाईन द्वारा कॉलोनी में स्थित गार्डन तथा नजदीकी ड्रेन/नाला तक पहुचाना होगा।
6. बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत करने/न करने/आंशिक रूप से स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त–दुर्ग का होगा।
7. कार्यस्थल में किसी प्रकार की टुट–फुट, पेड़–पौधे की क्षति होने पर 7 दिवस के अंदर संधारण कर संबंधित अधिकारी को सूचित करना होगा ।
8. सशर्त निविदा मान्य नही की जाएगी। अनुबंध अनुसार कार्य न करने पर अनुबंध 15 दिवस का नोटिस पर कार्य समाप्त कर धरोहर राशि राजसात की जाएगी ।
9. 18 वर्ष से कम आयु के कामगार काम पर नही रखे जावेंगे एवं श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
10. निविदाकार को तीन वर्ष का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र एवं वाणिज्य कर चूकता प्रमाण पत्र की नोटरी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
11. शासन द्वारा निर्धारीत सभी प्रकार के टैक्स/जी.एस.टी. का भुगतान निविदाकार को करना होगा। जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान मण्डल द्वारा नही किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

12. निविदाकार को लिफाफा 'अ' मे धरोहर राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट (जो कार्यपालन अभियंता छ.ग. गृह निर्माण मण्डल संभाग–धमतरी के नाम से देय होगा) जमा करना होगा। लिफाफा 'ब' में तकनीकी बीड एवं अनुभव प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर, वाणिज्य कर चूकता प्रमाण इत्यादि की नोटरी प्रमाणित प्रति एवं लिफाफा 'स' में वित्तीय ऑफर प्रस्तुत करना होगा।

13. लिफाफा 'अ' 'ब' एवं 'स' लिफाफे के पृष्ठ भाग पर स्पष्ट शब्दों में नाम एवं पता लिखना आवश्यक होगा। निर्धारित समय में कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–धमतरी के निविदा पेटी में बंद लिफाफा डालना होगा।

14. सर्वप्रथम लिफाफा 'अ' खोला जाएगा, निर्धारित धरोहर राशि प्राप्त होने के उपरांत लिफाफा 'ब' तकनीकी ऑफर खोला जावेगा। सफल निविदाकारों का वित्तीय ऑफर खोलने के पूर्व पृथक से तिथी निर्धारित कर सूचना दी जावेगी। निर्धारित तिथी को निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में वित्तीय ऑफर खोला जावेगा ।

15. सफल निविदाकार को अनुबंध हेतु पत्र दिया जावेगा जिसमें उल्लेखित समयानुसार अनुबंध करना अनिवार्य होगा, समय सीमा में अनुबंध नहीं किये जाने की स्थिति में जमा धरोहर राशि राजसात करते हुए निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।

61

16. प्रस्तावित कार्य को संपादित करने हेतु निर्धारित समय सीमा प्रदान की जावेगी । समय सीमा में कार्य पूर्ण नही करने की स्थिति में मण्डल के नियमानुसार अनुबंध राशि का 2% न्यूनतम अर्थदण्ड के साथ समयवृद्धि प्रदान की जावेगी जिसकी सीमा 30 दिन से अधिक नही होगी।

17. निविदाकार के प्रत्येक चल देयक में 5% सुरक्षा निधी के अतिरिक्त मण्डल के नियमानुसार अन्य कटौतीयॉ की जावेगी।

18. कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

19. STP/H.R.F.D. हेतु लगाये जाने वाले मैकनिकल एवं इलेक्ट्रीकल आईटम मण्डल द्वारा अनुमोदित ब्राण्ड के अनुसार लगाया जाना आवश्यक है। जिसकी अंतिम स्वीकृति सक्षम अधिकारी (Engineer in charge) से प्राप्त करनी होगी ।

20. उपरोक्त कार्य हेतु 25KVA का DG SET पैनल सहित लगाना होगा। साथ ही DG SET एवं फिल्टर हेतु कार्य स्थल पर शैड का निर्माण करना होगा।

6

21. कार्य स्थल की सुरक्षा हेतु ट्रीटमेन्ट प्लांट के चारों ओर फैंसींग लगाकर गेट लगाना आवश्यक होगा।

22. निविदाकार को संपूर्ण कार्य अनुबंध राशि में पूर्ण किया जाना होगा। उपरोक्त कार्य हेतु अनुबंध राशि के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नही किया जावेगा ।

23. प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 01 वर्ष तक H.R.F.D. का सामग्री मय संचालन एवं संधारण कार्य किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।

कार्यपालन अभियंता
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संभाग–धमतरी

Scanned by CamScanner